Phone : 0141-2791928
0141-2795529
Fax : 0141-2795550

Website : www.ruhsraj.org
Email : ruhsacademic@yahoo.in

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
RAJASTHAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

Sector-18, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur-302033 (Raj.)

No.F.8 ( ) Acad./RUHS/2016-17/ 4309 Date : 7/6/2017

1. P.S. to Hon'ble Vice-Chancellor, RUHS, Jaipur
2. P.S. to Principal Secretary to the Government, Finance Department, Rajasthan, Jaipur.
3. P.S. to Secretary, Medical Education Department, Rajasthan, Jaipur
4. Sh. Shrichand Karplani, Hon'ble Member of Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur
5. Smt. Alka Singh Gurjar, Hon'ble Member of Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur
6. Director, Medical Education, Government of Rajasthan Jaipur.
7. Dr. Bharti Malhotra, Dean Medicine, RUHS, Jaipur and Prof. S.M.S. Medical College, Jaipur.
8. Dr. D.K. Gupta, Prof. RUHS College of Dental Sciences, Jaipur.
9. Dr. Arun Chougule, Dean (Faculty of Paramedical), Professor, S.M.S. Medical College, Jaipur
10. Dr. Jyotsna Vyas, Professor, Obst & gyane., S.M.S. Medical College, Jaipur.
11. Dr. R.K. Kothari, Professor,Department of Bussniess Administration UoR Jaipur
12. Dr. Ramesh Agarwal, Consultant Orthopedicas Surgan and Director, Balaji Hospital, Dher ke Balaji, Jaipur.
13. Dr. Rajeev Gupta, Eternal Hospital, JLN Marg, Jaipur.
14. Dr. Sushil Kochar, Professor, Deptt. of Surgery, Jhalawar Medical College & Hospital, Jhalawar (Raj.).
15. Dr. Pradeep Jain, Professor, RUHS College of Dental Sciences, Jaipur.
16. Dr. B.R. Adyantaaya, Principal, Rajasthan Dental College, Jaipur.

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed the minutes of **115th** meeting of **Board of Management which was held on dated 19th April, 2017.**

Encl:- As Above

Registrar &
Member- Secretary

No.F.8 ( ) Acad./RUHS/2016-17/ 4310 - 47 Date : 7/6/2017

Copy to following also for information and necessary action:-

1. O.S.D. (Higher Education), Governor Secretariat, Raj Bhawan, jaipur.
2. P.A. to Registrar, RUHS, Jaipur
3. Controller of Examinations, RUHS, Jaipur
4. Finance Officer, RUHS, Jaipur
5. Principal, RUHS College of Medical Sciences, Jaipur.
6. Principal, RUHS College of Dental Sciences, Subhash Nagar, Jaipur.
7. Dy. Registrar(Estt./store/Academic/Secracy), RUHS, Jaipur
8. A.O./A.A.O., RUHS, Jaipur
9. Assistant Registrar, Academic/Examination/Entrance Exam Cell/Secrecy/Establishment, RUHS, Jaipur.
10. Section Officer, RTI, RUHS, Jaipur.
11. L.A., Legal Section, RUHS, Jaipur.
12. All section In charge, RUHS, Jaipur.
13. Guard File.

Asst. Registrar
Acad-II

Phone : 0141-2791928
0141-2795529
Fax : 0141-2795550

Website : www.ruhsraj.org
Email : ruhsacademic@gmail.com

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
RAJASTHAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

Sector-18, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur-302033 (Raj.)

115th MEETING OF BOARD OF MANAGEMENT
Held on 19.04.2017 at 2:00 PM

MINUTES

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के **प्रबन्ध मण्डल की 115वीं बैठक दिनांक 19 अप्रैल, 2017 को दोपहर 2:00 बजे** विश्वविद्यालय के सभा कक्ष में डॉ. राजाबाबू पंवार, माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक सूचना **परिशिष्ठ–1** एवं बैठक में उपस्थित होने वाले वाले सदस्यों की सूची **परिशिष्ठ–2** पर संलग्न है।

प्रस्तावों पर चर्चा करने के पूर्व डॉ. राजाबाबू पंवार, माननीय कुलपति व अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य सचिव ने बिन्दुवार प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किये।

विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त बैठक में प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

बिन्दु सं. 1 **प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 17.11.2016 के कार्यवाही विवरण के अनुपालना प्रतिवेदन का अनुमोदन।**
प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 17.11.2016 के कार्यवाही विवरण के अनुपालना प्रतिवेदन का अनुमोदनार्थ प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 17.11.2016 के कार्यवाही विवरण के अनुपालना प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु सं. 2 **संचलन के माध्यम से प्रबन्ध मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 13.02.2017 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि :–**
विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्यों को संचलन के माध्यम से निम्नलिखित एजेण्डा दिनांक 13.02.2017 को प्रेषित किये गये थे :–

1. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 23.01.2017 के एजेण्डा संख्या–11 में लिये गये निर्णयानुसार आवश्यक कार्यवाही बाबत
2. विश्वविद्यालय अनुचित साधन प्रकरण जांच समिति की बैठक दिनांक 16.01.2017 की बैठक कार्यवृत्त विवरण का अनुमोदन

उपरोक्त दोनों एजेण्डा बिन्दुओं का बहुमत के आधार पर माननीय प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया था। अतः प्रबन्ध मण्डल – By Circulation दिनांक 13.02.2017 का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : संचलन के माध्यम से प्रबन्ध मण्डल द्वारा बहुमत से लिये गये निर्णय दिनांक 13.02.2017 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। माननीय सदस्य डॉ. रमेश अग्रवाल द्वारा राय व्यक्त की गई कि बहुमत के आधार पर अनुमोदित के उपरांत भी बिन्दुओं को प्रबंध मण्डल के समस्त सदस्यों को प्रेषित किया जाना चाहिए।

बैठक में उपस्थित डॉ. रमेश अग्रवाल, माननीय सदस्य द्वारा प्रबन्ध मण्डल द्वारा संचलन (By Circulation) के माध्यम से निर्णय लिये जाने की प्रणाली के संबंध में अपना यह विचार प्रस्तुत किया कि उक्त प्रक्रिया के माध्यम से एजेण्डा बिन्दु पर निर्णय नहीं लिये जावे। इस पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा यह अवगत कराया कि विशेष परिस्थितियों में अथवा विशेष प्रकरणों जहां कि प्रबन्ध मण्डल का निर्णय/स्वीकृति अत्यन्त कम समय में आवश्यक हो, तो ही संचलन (By Circulation) के माध्यम से एजेण्डा बिन्दु माननीय सदस्यों को व्यक्तिशः प्रेषित किये जाते है एवं माननीय सदस्यों की स्वीकृति के आधार पर ही संबंधित कार्यवाही की जाती है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रबन्ध मण्डल संचलन (By Circulation) के माध्यम से परम्परागत रूप से किया जा रहा है।

इस संबंध में विस्तृत चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विशेष परिस्थितियों में यदि आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय द्वारा अति आवश्यक प्रकरणों में भी शॉर्ट नोटिस (even within 24 hours) पर भी प्रबन्ध मण्डल की आवश्यक बैठक आहूत की जाकर संबंधित प्रकरण में निर्णय लिया जावे।

बिन्दु सं. 3 **परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 30.11.2016, 23.01.2017, 31.03.2017 एवं 10.04.2017 के बैठक कार्यवाही विवरण का अनुमोदन :–**

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 30.11.2016, 23.01.2017, 31.03.2017 एवं 10.04.2017 के बैठक कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है। *(परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 23.01.017 के निर्णय संख्या 11 का अनुमोदन प्रबन्ध मण्डल द्वारा पूर्व में संचलन के माध्यम से दिनांक 13.02.2017 को किया जा चुका है, अतः शेष निर्णय अनुमोदनार्थ प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।)*

(परीक्षा विभाग से प्राप्त यू.ओ. नोट क्र. 12465 दि. 08.02.2017 / 11234 दि. 07.01.2017/152 दि. 03.04.2017)

निर्णय : बैठक में उपस्थित हुए परीक्षा नियंत्रक, राज.स्वा.वि.वि. द्वारा परीक्षा समिति की उक्त बैठकों में लिए गये निर्णयों का संक्षिप्त रूप से ब्यौरा माननीय प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को दिया गया। विचार–विमर्श उपरान्त परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 30.11.2016, 23.01.2017, 31.03.2017 एवं 10.04.2017 के बैठक कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु सं. 4 **अनुचित साधन प्रकरण जांच समिति की बैठक दिनांक 01.03.2017 एवं 31.03.2017 के बैठक कार्यवाही विवरण का अनुमोदन :–**

अनुचित साधन प्रकरण जांच समिति की बैठक दिनांक 01.03.2017 एवं 31.03.2017 के बैठक कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

(परीक्षा विभाग से प्राप्त यू.ओ. नोट क्र. 13571 दि. 06.03.2017 एव क्र. 364 दि. 10.04.2017)

निर्णय : बैठक में उपस्थित हुए परीक्षा नियंत्रक, राज.स्वा.वि.वि. द्वारा अनुचित साधन जांच प्रकरण समिति की उक्त बैठकों में लिए गये निर्णयों का संक्षिप्त रूप से ब्यौरा माननीय प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को दिया गया। बैठक में उपस्थित डॉ. रमेश अग्रवाल, माननीय सदस्य द्वारा उक्त समिति की बैठक दिनांक 31.03.2017 क्र.सं. 13 पर वर्णित एम.बी.बी.एस. छात्रा श्रेया आसोपा के प्रकरण में विस्तृत जानकारी सदन को प्रस्तुत करने का कहा गया। जिसके उपरान्त डॉ. अरूण चौगुले, माननीय सदस्य एवं अध्यक्ष, अनुचित साधन जांच प्रकरण समिति द्वारा उक्त प्रकरण में समिति द्वारा लिए गये निर्णय से सदन को अवगत कराया कि छात्रा द्वितीय वर्ष एम.बी.बी.एस. परीक्षा जनवरी, 2014 में 05 पेपर में अनुत्तीर्ण है। किन्तु छात्रा द्वारा उपरोक्त परीक्षा की प्रस्तुत की गई अंकतालिका में वह सभी विषयों में उत्तीर्ण है। तथा इसी अंकतालिका/परिणाम के आधार पर छात्रा एम.बी.बी.एस. की आगामी परीक्षाओं में भी सम्मिलित होती रही। अतः प्रकरण में दोषी पाई गई छात्रा को विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्स 154–4(ए) के तहत सजा दिये जाने की अनुशंषा की गई है।

बैठक में उपस्थिति श्रीमति अलका सिंह गुर्जर, माननीय वि.स. सदस्य एवं प्रबन्ध मण्डल सदस्य एवं प्रोफेसर, आर.के. कोठारी, प्रबन्ध मण्डल सदस्य द्वारा भी चर्चा के दौरान उक्त प्रकरण में परीक्षा विभाग की परीक्षा आवेदन पत्र भरने की प्रकिया में विश्वविद्यालय स्तर पर रही त्रुटि के संबंध में जानकारी चाही गई। डॉ. कोठारी द्वारा जानना चाहा कि यदि छात्रा eligible नही थी तो छात्रा का online परीक्षा फार्म Generate क्यों हुआ? उक्त प्रकरण में परीक्षा नियंत्रक द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा की कार्यवाही से सदन को अवगत कराते हेतु यह निवेदन किया कि छात्रा के आगामी कक्षा फाईनल एम.बी.बी.एस. पार्ट प्रथम जनवरी, 2015 के परीक्षा आवेदन भरने के दौरान विश्वविद्यालय में छात्रा के परीक्षा परिणाम से संबंधित Tabulation Register (TR) में भी अनियमितता पायी गयी है। उक्त रिकार्ड (TR) एवं अंकतालिका के आधार पर छात्रा आगामी परीक्षा में भाग ले पाई। विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त अनियमितता की जानकारी प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही की गई है एवं प्रकरण को अनुचित साधन प्रकरण जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

बैठक में उपस्थित माननीय सदस्यों द्वारा एम.बी.बी.एस. छात्रा श्रेया आसोपा के उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए प्रकरण में अब तक हुई कार्यवाही की रिपोर्ट एवं किसी भी स्तर पर कोई कमी/लापरवाही से संबंधित विस्तृत परीक्षण करने हेतु निम्न कमेटी का गठन किया गया :–

1. प्रति कुलपति, राज.स्वा.वि.वि.
2. डॉ. आर.के. कोठारी, माननीय सदस्य, प्रबन्ध मण्डल

3. कुलसचिव, राज.स्वा.वि.वि.
4. उप कुलसचिव, राज.स्वा.वि.वि.

उक्त समिति की रिपोर्ट को आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में आवश्यक कार्यवाही हेतु रखा जाने का भी निर्णय लिया गया।

बिन्दु सं. 5 निरीक्षण मण्डल की बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन :–

निरीक्षण मण्डल की बैठक दिनांक 07.12.2016, 13.12.2016, 07.01.2017, 17.02.2017, 03.03.2017, एवं 28.03.2017 के कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : बैठक में उपस्थित हुए सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक), राज.स्वा.वि.वि. द्वारा निरीक्षण मण्डल की उक्त बैठकों में लिए गये निर्णयों का संक्षिप्त रूप से ब्यौरा माननीय प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को दिया गया। माननीय कुलपति महोदय द्वारा निरीक्षण मण्डल की बैठकों में विशेष प्रकृति के प्रकरणों में लिए गये ऐसे निर्णयों जिनमें सदन को जानकारी आवश्यक हो, से सदन को अवगत कराने हेतु कहा गया। इस संबंध में सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक) द्वारा अन्य सामान्य प्रकरणों की संक्षिप्त विवरण के साथ निरीक्षण मण्डल की बैठक दिनांक 07.01.2017 के बिन्दु सं. 8, दि. 17.02.2017 के बिन्दु सं. 3 एवं दि. 03.03.2017 के बिन्दु सं. 3 के निर्णय से सदन को अवगत कराते हुए यह बताया कि कुशल एज्यूकेशन ट्रस्ट, जोधपुर द्वारा जोधपुर डेन्टल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, जोधपुर में सत्र 2017–18 से बीडीएस कोर्स की 100 सीट एवं एमडीएस कोर्स के 5 विषयों (Orthodontics, Oral & Maxillofacial surgery, conservative Dentistry and Endodontic, Prosthodontics, Oral Medicine & Radiology) की 3–3 सीट संबद्धता हेतु कोर्स संचालित किये जाने के लिए आवेदन किया गया। ट्रस्ट द्वारा पूर्व में जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय संचालित किया जा रहा था, जिसका राज्य सरकार के शिक्षा ग्रुप–4 ने परिसमापन किया जाकर विश्वविद्यालय की मान्यता रद्द कर दी गई थी। उक्त ट्रस्ट द्वारा राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग ग्रुप–1 से आवेदन किये जाने पर चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग ने पत्र क्र. 7(43)/डी.एम.ई./2014 जयपुर दिनांक 25.11.2016 के द्वारा राज.स्वा.वि.वि. से संबद्धता हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। ट्रस्ट द्वारा विश्वविद्यालय से बीडीएस/एमडीएस कोर्स की संबद्धता हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया।

संस्था जोधपुर डेन्टल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, जोधपुर के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर संस्था को सत्र 2017–18 से बी.डी.एस. कोर्स की 100 सीट एवं एम.डी.एस. कोर्स के 5 विषयों हेतु नवीन संबद्धता का आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए सत्र 2017–18 की नवीन संबद्धता हेतु उक्त पाठ्यक्रमों का निरीक्षण करवाये जाने का निर्णय निरीक्षण मण्डल द्वारा लिया गया। संस्था के निरीक्षण के उपरान्त प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट को स्क्रूटनी कमेटी की अभिषंशा के बाद निरीक्षण मण्डल द्वारा उक्त संस्था को सत्र 2017–18 से बीडीएस कोर्स की 100 सीट एवं एमडीएस कोर्स के 5 विषयों (Orthodontics, Oral & Maxillofacial surgery, conservative Dentistry and Endodontic, Prosthodontics, Oral Medicine & Radiology) की 3–3 सीट संबद्धता हेतु कोर्स संचालित किये जाने हेतु प्राविजनल सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंषा की गई है। साथ ही आई.बी.बी. कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, कोटा, के.एस. मेमोरियल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, जोधपुर, संजीवनी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, दौसा, जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज, अजमेर एवं एकलव्य डेन्टल कॉलेज, कोटपूतली को भी बोर्ड ऑफ इन्सपेक्शन द्वारा सम्बद्धता हेतु अनुशंषाऐं की गई है।

विचार विमर्श उपरान्त निरीक्षण मण्डल की बैठक दिनांक 07.12.2016, 13.12.2016, 07.01.2017, 17.02.2017, 03.03.2017, एवं 28.03.2017 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु सं. 6 विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये जाने वाले अवकाश कलैण्डर वर्ष 2017 के संबंध में :–

राज.स्वा.वि.वि. द्वारा प्रतिवर्ष राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा जारी अवकाश कलेण्डर के अनुरूप ही अवकाश घोषित किये जाते हैं। वर्ष 2016–17 के संबंध में सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर के पत्रांक एफ.1(46)(डी)आरबी/2015/7980 दिनांक 29.09.2016 द्वारा समस्त विश्वविद्यालयों को अवकाश कलेण्डर पालनार्थ प्रेषित किया गया था। उल्लेखनीय है कि राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आदेश क्रमांक 8933 दिनांक 29.12.2016 द्वारा अवकाश कलेण्डर वर्ष 2017 जारी किया गया है जिसमें वर्णित अवकाश राजभवन द्वारा निर्देशित अवकाशों से कतिपय रूप से भिन्न है। सचिव, राज्यपाल, राजभवन, राजस्थान के पत्र क्रमांक 2652 दिनांक 28.03.2017 के द्वारा वार्षिक अवकाश कलैण्डर भिजवाया गया था। साथ ही

उक्त अवकाश कलैण्डर पर विश्वविद्वालय से टिप्पणी भी मांगी गयी थी जिसके क्रम में विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 77 दिनांक 01.04.2017 द्वारा निम्नानुसार टिप्पणी भिजवायी गयी है:–

1. राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के संगठक जयपुरिया चिकित्सालय एवं राज.स्वा.वि.वि. दन्त विज्ञान महाविद्यालय के संगठक चिकित्सालय में सप्ताह में सातों दिवस खोले जाते है तथा चिकित्सालयों में अवकाश चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर चिकित्सालयों के लिए अवकाश संबंधी आदेशों के अनुरूप होते है। साथ ही जयपुरिया चिकित्सालय में 24 घंटे आपातकालिन सेवायें प्रदान की जाती है।
2. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय परिसर मे किसी भी तरह शैक्षणिक कक्षाएं जैसे की पी. जी. विभाग इत्यादि संचालित नहीं होते है। अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रशासनिक खण्ड मे राज्य सरकार के अनुरूप प्रत्येक शनिवार का अवकाश (2 माह के ग्रीष्मकालिन अवकाश एवं 7 दिवस का शीतकालिन अवकाश के एवज में) एवं शेष अवकाश राजपत्रित अवकाश राजस्थान सरकार के कलैण्डर के अनुसार किया जाना उचित रहेगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान में कालेज शिक्षा निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा निदेशालयों एवं सभी राजकीय एवं स्वायतशासी संस्थानों में प्रत्येक शनिवार का अवकाश रहता है तथा शेष राजपत्रित अवकाश राजस्थान सरकार के कलैण्डर के अनुसार रहता है।
3. राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं दन्त विज्ञान महाविद्यालय में अकादमिक एवं टींचिग विंग को प्रत्येक शनिवार का अवकाश देय नहीं होता है तथा शेष राजपत्रित अवकाश राजस्थान सरकार के कलैण्डर के अनुसार किया जाना उचित रहेगा।
4. वर्तमान में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय मे छात्रों से संबंधित सभी फीस एवं चार्जेज ऑन लाईन प्राप्त किये जाते है साथ ही सभी बैंकों में भी द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को अवकाश रखा जाता है जिसके कारण छात्रों से फीस इत्यादि प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

अतः कलेण्डर वर्ष 2017 के संबंध में राज.स्वा.वि.वि. द्वारा जारी किये जाने वाले अवकाश कलेण्डर के संबंध में प्रकरण विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्तुत है।
(प्रभारी अधिकारी (संस्थापन–1) से प्राप्त यू.ओ. नोट क्र. 19431दिनांक 10.01.2017)

निर्णय : प्रबंध मण्डल के सदस्यो को अवगत कराया गया कि राजभवन, जयपुर से प्राप्त मॉडल अवकाश कलेण्डर में 2 माह का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं 7 दिवस का शीतकालीन अवकाश दर्शाया गया है। राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में प्रतिवर्ष परीक्षाऐं वार्षिक आधार पर माह मार्च–अप्रेल में होती है जिसके कारण उन विश्वविद्यालयों में माह मई–जून में दो माह का ग्रीष्मकालीन अवकाश रखा जाता है। राज.स्वा.वि.वि. में कुल छः संकाय है तथा सभी संकायों के पाठ्यक्रमों की परीक्षाऐं संबंधित उच्च परिषद जैसे एम.सी.आई., डी.सी.आई., आई.एन.सी. आदि के द्वारा तय मापदण्डों के अनुसार समय–समय पर वर्ष में दो बार आयोजित की जाती है। अतः राजभवन द्वारा उपलब्ध कराये गये मॉडल अवकाश कलेण्डर में उल्लेखित 2 माह का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं 7 दिवस का शीतकालीन अवकाश राज.स्वा.वि.वि. में लागू किया जाना संभव नहीं होगा। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में सभी सदस्यों द्वारा विचार–विमर्श कर राज.स्वा.वि.वि. के प्रशासनिक खण्ड में राज्य सरकार के अनुरूप प्रत्येक शनिवार का अवकाश एवं शेष अवकाश राजस्थान सरकार के अनुरूप रखे जाने का निर्णय लिया गया।

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के संघटक राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं राज.स्वा.वि.वि. दन्त विज्ञान महाविद्यालय में अशैक्षणिक एवं शैक्षणिक को प्रत्येक शनिवार का अवकाश देय नहीं होगा। शेष राजपत्रित अवकाश राजस्थान सरकार के कलेण्डर वर्ष के अनुसार लागू होंगे। राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय से संलग्न राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय एवं राज.स्वा.वि.वि. दन्त विज्ञान महाविद्यालय के संलग्न चिकित्सालय में अवकाश चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर चिकित्सालयों हेतु अवकाश के संबंध में जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुरूप रखे जाने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु सं. 7 अन्तर्राष्ट्रीय/ख्यातिनाम शिक्षण एवं शोध संस्थानों/अस्पतालों/ विश्वविद्यालयों से पारस्परिक तकनीकी एवं शैक्षणिक सहयोग हेतु अनुबंध करने के संबंध में :–

विशेषाधिकारी, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.18(2)एम.ई./ग्रुप–1/2016 दिनांक 08.08.2016 द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय/ख्यातिनाम शिक्षण एवं शोध संस्थानों/अस्पतालों/ विश्वविद्यालयों से पारस्परिक तकनीकी एवं शैक्षणिक सहयोग हेतु अनुबंध करने के क्रम में विस्तृत

आमंत्रण पत्र बनाया जाकर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये। अन्तर्राष्ट्रीय/ख्यातिनाम शिक्षण एवं शोध संस्थानों/अस्पतालों/विश्वविद्यालयों से पारस्परिक तकनीकी एवं शैक्षणिक सहयोग हेतु अनुबंध करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के निर्देशानुसार विस्तृत प्रस्ताव आमंत्रण पत्र बनाये जाने हेतु M/s PDCOR जो राजस्थान सरकार का उपक्रम है से प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे।

PDCOR Limited, Bhawani Singh Road, Jaipur के पत्रांक PDCOR/SH/RUHS/865 Dated 17.03.2017 द्वारा Consultancy Services for Selecting a Private Sector Partner for Developing RUHS's Medical College & Allied Institutions into a World-Class Centre for Learning हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव विचार–विमर्श एवं उचित निर्णयार्थ प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।
प्रभारी अधिकारी (स्टोर) से प्राप्त यू.ओ. नोट क्र. 416 दिनांक 10.04.2017 एवं क्र. 19363 दिनांक 07.01.2017)

निर्णय : अन्तर्राष्ट्रीय/ख्यातिनाम शिक्षण एवं शोध संस्थानों/अस्पतालों से विश्वविद्यालयों के पारस्परिक तकनीकी एवं शैक्षणिक सहयोग हेतु वैश्विक स्तर (Globally) का प्रस्ताव तैयार करने एवं प्रस्ताव आमंत्रित करने हेतु राजस्थान सरकार का उपक्रम PDCOR Limited, Bhawani Singh Road, Jaipur से Consultancy Services for Selecting a Private Sector Partner for Developing RUHS's Medical College & Allied Institutions into a World-Class Centre for Learning हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में उपस्थित श्रीमति रोली सिंह, सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा प्रबंध मण्डल के सदस्यो के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि चूंकि विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सहयोग हेतु अनुबंध किया जाना है अतः उक्त प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की विद्या–परिषद में भी चर्चा की जाकर अनुमोदन किया जावे, जिस पर प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्यों द्वारा सहमति प्रदान की गई।

बिन्दु सं. 8 राज.स्वा.वि.वि., जयपुर में स्थापित की जाने वाली अत्याधुनिक Paraplegic Treatment Wing के संबंध में :–

माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार के बजट भाषण दिनांक 08.03.2017 वित्तीय वर्ष 2017–18 की बजट घोषण संख्या 236 के तहत राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर में एक अत्याधुनिक Paraplegic Treatment Wing स्थापित किये जाने का प्रावधान किया गया है। निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य सरकार की उक्त बजट घोषणा की शीघ्र क्रियान्विति सुनिश्चित किये जाने एवं तत्संबंधी प्रगति रिपोर्ट चाही गई है। विश्वविद्यालय द्वारा उक्त विंग को *इण्डियन स्पाइनल इंजरीज सेन्टर, नई दिल्ली* की तर्ज पर उक्त विंग को विकसित करने का निर्णय लिया गया है। स्पाईनल इन्जरी से संबंधित मरीजों की आवश्यकता के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा उक्त विंग को डिजाईन किया जाना प्रस्तावित है। अतः उक्त प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार के बजट भाषण दिनांक 08.03.2017 वित्तीय वर्ष 2017–18 की बजट घोषण संख्या 236 के तहत राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर में एक अत्याधुनिक Paraplegic Treatment Wing स्थापित किये जाने का प्रावधान के बारे में माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रबंध मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया। राज्य सरकार की बजट घोषणा में विश्वविद्यालय हेतु किये गये प्रावधान का माननीय सदस्यों द्वारा प्रसन्नता जाहिर करते हुए बजट घोषणा का स्वागत किया गया। माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदस्यों को यह अवगत कराया कि विश्वविद्यालय में स्थापित की जाने वाली उक्त Paraplegic Treatment Wing में रिहेबिलिटेशन सर्विसेज विकसित की जावेंगे। बैठक में उपस्थित श्री एल.एन. सोनी, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त विभाग, राज. सरकार द्वारा यह कहा गया कि विश्वविद्यालय स्तर पर इस संबंध में विस्तृत बजट प्रस्ताव तैयार किया जाकर प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को प्रेषित किया जावे ताकि आवश्यक कार्यवाही की जाकर बजट स्वीकृत किया जा सके। माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से उक्तानुसार कार्यवाही किये जाने का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु सं. 9 राज.स्वा.वि.वि. के प्रशासनिक भवन में विभिन्न मरम्मत कार्यो हेतु आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा प्रस्तुत तकमीना राशि रू. 119.41 लाख पर विचार–विमर्श एवं अनुमोदन :–

राज.स्वा.वि.वि. के प्रशासनिक भवन में विभिन्न मरम्मत कार्य सम्पादित किये जाने प्रस्तावित है। इस संबंध में आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा पत्रांक 847 दि. 10.01.2017 द्वारा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के विभिन्न मरम्मत कार्यो के संबंध में तकमीना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया है जिसकी कुल राशि रू.

119.41 लाख है। उक्त तकमीना विचार–विमर्श एवं आवश्यक अनुमोदन हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

(प्रभारी अधिकारी, स्टोर शाखा से प्राप्त यू.ओ. नोट क्र. 225 दि. 05.04.2017)

निर्णय : प्रबंध मण्डल की बैठक में उपस्थित माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का निर्माण लगभग 10 वर्षों पूर्व आर.एस.आर.डी.सी. के माध्यम से करवाया गया था। उक्त भवन की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत भवन में विभिन्न मरम्मत कार्य करवाये जाने आवश्यक है एवं इन विभिन्न मरम्मत कार्यों के संबंध में आर.एस.आर.डी.सी. लि. से तकमीना प्राप्त किया गया है। इस संबंध में चर्चा के दौरान डॉ. रमेश अग्रवाल, माननीय सदस्य द्वारा इंगित किया गया कि वित्तीय स्वीकृति से संबंधित इस प्रकार के प्रकरणों को प्रथमतः वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। सदस्यों को अवगत कराया कि यह प्रकारण दिनांक 19.04.2017 को ही आयोजित की गई वित्त समिति में अनुमोदित किया जा चुका है। विचार–विमर्श उपरोन्त राज.स्वा.वि.वि. के प्रशासनिक भवन में विभिन्न मरम्मत कार्यो हेतु आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा प्रस्तुत तकमीना राशि रू. 119.41 लाख का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु सं. 10 राज.स्वा.वि.वि. दन्त विज्ञान महाविद्यालय में विभिन्न रिन्नोवेशन कार्यो हेतु बिल्डिंग कमेटी की अनुशंषा के आधार पर स्वीकृत राशि 194.95 लाख की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में :–

राज.स्वा.वि.वि. दन्त विज्ञान महाविद्यालय में विभिन्न रिन्नोवेशन कार्यो हेतु अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शहर डिविजन–2, जयपुर द्वारा प्रस्तुत एस्टीमेट में से बिल्डिंग कमेटी की अनुशंषा के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग को राशि रू. 194.95 लाख विश्वविद्यालय कोष से अग्रिम स्वीकृत किये जा चुके हैं। अतः विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश *क्र. एफ.6( )/स्टोर/2016–17/16863 दिनांक 13.12.2016* के माध्यम से जारी उक्त स्वीकृति प्रबन्ध मण्डल मण्डल के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : विचार–विमर्श उपरान्त राज.स्वा.वि.वि. दन्त विज्ञान महाविद्यालय में विभिन्न रिन्नोवेशन कार्यो की आवश्यकता के दृष्टिगत बिल्डिंग कमेटी की अनुशंषा के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत राशि 194.95 लाख की कार्योत्तर प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदान की गई।

बिन्दु सं. 11 राज.स्वा.वि.वि. अधिनियम, 2005 की धारा 18(1)(क) के अनुसार राज.स्वा.वि.वि. में "सम्पदा अधिकारी" की नियुक्ति के संबंध में :–

राज.स्वा.वि.वि. अधिनियम, 2005 की धारा 18(1) के अनुसार प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय के सम्पदा अधिकारी के पद पर एक या अधिक अधिकारियों की नियुक्ति किये जाने का प्रावधान है। उक्त अधिनियम की धारा 18(2) के अनुसार सम्पदा अधिकारी विश्वविद्यालय के समस्त भवनों, लॉनों, उद्यानों और अन्य स्थावर सम्पति का भारसाधक होगा। सम्पदा अधिकारी की ग्रेड–पे, पे–स्केल एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर की विज्ञापन क्रमांक 03/2011 दिनांक 04.09.2011 के अनुसार निम्नलिखित हैः–

पदनाम	शैक्षणिक योग्यता
सम्पदा अधिकारी पे स्केल 15600–39100 ग्रेड पे 5400	**Essential Qualifications:** 1. Bachelor's degree in Civil Engineering with minimum 60% marks from a recognized university or its equivalent qualification. **Desirable qualifications:** 1. Alteast 3 years working experience as Junior Engineer/Assistant Engineer in State/Central University or Government or Autonomous Institute or Corporation.

अतः राज.स्वा.वि.वि. अधिनियम, 2005 की धारा 18(1)(क) के अनुसार राज.स्वा.वि.वि. में "सम्पदा अधिकारी" (एक या अधिक) की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : प्रबंध मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय के वर्तमान एवं भावी विकास कार्यों के दृष्टिगत विश्वविद्यालय के समस्त भवनों, लॉनों, उद्यानों और अन्य स्थावर सम्पति के भारसाधक के रूप में राज.स्वा.वि.वि. अधिनियम, 2005 की धारा 18(1)(क) के अनुसार राज.स्वा.वि.वि. के "सम्पदा अधिकारी" का पद होना आवश्यक है। माननीय सदस्यों द्वारा जानकारी चाहने पर सदन को अवगत कराया गया कि इस प्रकार का काई भी पद वर्तमान समय तक राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में स्वीकृत नहीं किया गया है। बैठक में उपस्थित श्री एल.एन. सोनी, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त विभाग, राज. सरकार द्वारा

विश्वविद्यालय स्तर "सम्पदा अधिकारी" के एक नवीन पद के सृजन प्रस्ताव तैयार कर प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को पत्र प्रेषित करने हेतु सदस्यों को अवगत कराया। साथ ही यह भी अवगत कराया कि प्रस्ताव के साथ यह स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे कि उक्त पद (सीधी भर्ती अथवा प्रतिनियुक्ति) किस प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाना प्रस्तावित है।

विचार–विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि श्री एल.एन. सोनी, विशिष्ट शासन सचिव द्वारा सुझावित बिन्दुओं के अनुसार राज्य सरकार को "सम्पदा अधिकारी" के एक नवीन पद के सृजन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जावे। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में स्वीकृत होने वाले उक्त नवीन पद को सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज.सरकार से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जावे।

बिन्दु सं. 12 राज.स्वा.वि.वि. अधिनियम, 2005 की धारा 18(1)(ख) के अनुसार राज.स्वा.वि.वि. में "छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष" की नियुक्ति के संबंध में :–

राज.स्वा.वि.वि. अधिनियम, 2005 की धारा 18(1) के अनुसार प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष पद पर एक या अधिक अधिकारियों की नियुक्ति किये जाने का प्रावधान है। उक्त अधिनियम की धारा 18(3) के अनुसार छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के कर्तव्य निम्नलिखित है :–

(क) छात्रों के आवासन का प्रबन्ध करना;
(ख) छात्रों को परामर्श देने के लिए कार्यक्रम निर्दिट करना;
(ग) कुलपति द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अनुसार छात्रों के नियोजन के लिए व्यवस्था करना;
(घ) छात्रों के पाठ्येत्तर कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करना;
(ड) विश्वविद्यालय के स्नातकों को नौकरी दिलाने में सहायता करना;
(च) विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों को संगठित करना और उनसे सम्पर्क बनाये रखना।

अतः राज.स्वा.वि.वि. अधिनियम, 2005 की धारा 18(1)(ख) के अनुसार राज.स्वा.वि.वि. में "छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष" की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : राज.स्वा.वि.वि. अधिनियम, 2005 की धारा 18(1) के प्रावधान के अनुसार छात्र कल्याण के संबंध में वर्णित कर्तव्यों के निर्वहन हेतु "छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष" की नियुक्ति के संबंध में चर्चा की गई। डॉ. आर.के. कोठारी, माननीय सदस्य द्वारा प्रबंध मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया कि राजस्थान विश्वविद्यालय में इस प्रकार की नियुक्तियां विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम में वर्णित शक्तियां का प्रयोग करते हुए अपने स्तर पर ही की जाती है। यह भी अवगत कराया गया कि माननीय कुलपति महोदय द्वारा छात्र कल्याण से संबंधित संकायाध्यक्ष की नियुक्ति विश्वविद्यालय के आचार्यों में से ही की जाती है। विचार–विमर्श उपरान्त विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय के स्तर पर ही राजस्थान विश्वविद्यालय के अनुसार विश्वविद्यालय के अधिनियम में वर्णित शक्तियों को प्रयोग करते हुए "छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष" की नियुक्ति किये जाने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु सं. 13 दिनांक 19.12.2016 से 24.12.2016 तक राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर के विभिन्न शैक्षणिक पदों हेतु आयोजित साक्षात्कारों के उपरान्त चयन समिति से प्राप्त अनुशंषा के अनुमोदन के संबंध में :–

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर के निम्नलिखित शैक्षणिक पदों हेतु साक्षात्कार दिनांक 19.12.2016 से 24.12.2016 तक आयोजित किये गये :–

S.N.	Speciality	Post
1	Microbiology	Professor
2	Forensic Medicine	Professor
3	Paediatrics	Professor
4	ENT (Oto-Rhino Lary)	Professor
5	Pathology	Professor
6	Pathology	Associate Professor
7	Community Medicine/ PSM	Professor
8	Community Medicine/ PSM	Associate Professor
9	OBG	Professor

10	General Surgery	Associate Professor
11	Orthopaedics	Professor
12	Radio Diagnosis	Associate Professor
13	General Medicine	Professor
14	General Medicine	Associate Professor
15	Dentistry	Professor
16	Pharmacology	Associate Professor
17	Anaesthesia	Associate Professor
18	Anatomy	Associate Professor

डॉ. अरुण गुप्ता Convener Teaching faculty Recruitment of RUHS 2015 (Phase-II) एवं आचार्य राज.स्वा.वि.वि. दन्त विज्ञान महाविधालय जयपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 07.01.2017 के माध्यम से इन साक्षात्कारों के उपरान्त चयन समिति से प्राप्त अनुशंषाऐं प्रेषित की गई है। चयन समिति से प्राप्त उक्त अनुशंषाऐं प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
(प्रभारी अधिकारी (प्रवेश परीक्षा अनुभाग) से प्राप्त यू.ओ. नोट क्र. 388 दिनांक 06.04.2017)

निर्णय : विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा माननीय सदस्यों के समक्ष एजेण्डा पढा गया। उक्त के संबंध मे कुलपति महोदय ने डॉ. डी.के. गुप्ता, प्रति कुलपति से अनुरोध किया कि चयन समित की अनुशंषाओं से सदस्यों को अवगत करावें। डॉ. गुप्ता ने बताया कि उक्त रिजल्ट को कम्पाईल नहीं किया गया है एवं मेरिट लिस्ट नहीं बनाई गई है। क्योकि चयन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि गोपनीयता बनाये रखने हेतु ऐसा करना उचित नही होगा। माननीय कुलपति महोदय ने सदस्यों से अनुरोध किया कि अनुमति हो तो परिणाम के सील्ड लिफाफे को खोलकर प्रतिकुलपति के साथ एक अन्य सदस्य बैठक कर, जब तक अन्य एजेण्डा पर विचार किया जा रहा है, रिजल्ट को कम्पाईल कर प्रबंध मण्डल के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करें। इस पर श्रीमति रोली सिंह, सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, श्रीमति पुष्पा सत्यानी, श्री एल.एन.सोनी, विशिष्ट सचिव एवं प्रतिनिधि, वित्त विभाग, कुलसचिव, राज.स्वा. वि.वि. एवं श्री रमेश अग्रवाल, मा0 सदस्य, श्री आर.के. कोठारी जी, मा0 सदस्य ने कहा कि रिजल्ट तैयार कर चयन सूची प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। रिजल्ट तैयार करना प्रबंध मण्डल का कार्य नही है। श्रीमति पुष्पा सत्यानी एवं श्री एल.एन. सोनी, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के एक्ट में वर्णित चयन प्रक्रिया जानना चाहा। कुलसचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि

The Rajasthan Universities' Teachers & Officers (Selection for Appointment) Act No. 18 of 1974 में वर्णित चयन प्रक्रिया के अनुसार चयन समिति को अपनी अनुशंषाऐं प्रबन्ध मण्डल के प्रस्तुत करती है। उक्त अधिनियम में वर्णित चयन प्रक्रिया का बिन्दु सं.–2 निम्नानुसार है :–

"(2) The selection committee make its recommendations to the Syndicate. If the Syndicate disapproves the recommendations of the selection committee, the Vice-Chancellor of the University concerned shall submit such recommendations alongwith reasons for disapproval give by the Syndicate to the Chancellor for his consideration and the decision of the Chancellor thereon shall be final.

(3) Every selection committee shall be bound by the qualifications laid down in the relevant law of the University concerned for the post of a teacher or, as the case may be, of an officer

(4) The Selection Committee, while making its recommendations to the Syndicate under sub-section (2), shall prepare a list of candidates selection by it in order of merit and shall further prepare 'a reserve list in the same order and to the extent of 50% of the vacancies on the posts of teachers or officers for which the selection committee was consitituted under sub-section (1) of Section 5 and shall forward the main list and the reserve list alongwith its recommendations to the syndicate. "

एक्ट के प्रावधानुसार चयन समिति द्वारा प्रबंध मण्डल के समक्ष चयन सूची एवं प्रतिक्षा सूची अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। प्रबंध मण्डल के सदस्यों ने कहा कि चयन समिति की बैठक पुनः बुलवाई जावे एवं चयन समिति के समस्त सदस्यों के हस्ताक्षर की गई पदवार एवं विषयवार चयन सूची एवं प्रतिक्षा सूची प्रबंध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जावें इस पर श्रीमति पुष्पा सत्यानी एवं कुलसचिव ने कहा

कि क्या अब पुनः लिफाफा खोलकर Compilation करके परिणाम बनाया जा सकता है? इस संबंध में सदस्यों ने विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि महाधिवक्ता/अति0 महाधिवक्ता से राय ली जावे कि क्या इस स्टेज पर सील्ड बन्द लिफाफे को खोला जाकर रिजल्ट को कम्पाईल कर मेरिट सूची एवं रिजर्व सूची बनवाई जा सकती है। महाधिवक्ता की राय आने के उपरांत प्रकरण पुनः प्रबंध मण्डल के समक्ष रखा जावें। तब तक सील्ड बन्द लिफाफा एक बाक्स में रखकर विश्वविद्यालय के ट्रिपल लॉक में रखा जावे एवं डबल लॉक के बाक्स की एक चाबी कुलसचिव एवं एक चाबी परीक्षा नियंत्रक के पास रखी जावें।

बिन्दु सं. 14 विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्स 357 A(i) के तहत शैक्षणिक व अशैक्षणिक कार्मिकों की परिवीक्षा अवधि 24 माह के स्थान पर 12 माह किये जाने के संबंध में :-

ऑर्डिनेन्स 357 A(i) के अन्तर्गत आने वाले राज.स्वा.वि.वि. के अशैक्षणिक कार्मिकों के प्रकरणों में पूर्व में प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 28.10.2014 के अति. एजेण्डा सं. 04 एवं बैठक दिनांक 29.09.2015 के एजेण्डा सं. 08 में निर्णय लिया जाकर योग्य अशैक्षणिक कार्मिकों की परिवीक्षा अवधि एक वर्ष किये जाने का अनुमोदन किया जा चुका है।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा यह अवगत कराया गया है कि ऑर्डिनेन्स 357 A(i) में आदिनांक तक कोई संशोधन तो नहीं किया गया है परन्तु वर्तमान में अशैक्षणिक कार्मिकों पर यह ऑर्डिनेन्स अप्रभावी चल रहे हैं। उक्त प्रकरण में राज.स्वा.वि.वि. द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 21.02.2016 में अशैक्षणिक कार्मिकों के संबंध में प्रकरण प्रबंध मण्डल के समक्ष रखे जाने एवं शैक्षणिक कार्मिकों के संबंध में परिवीक्षा अवधि एक वर्ष किये जाने की अनुशंषा की गई है। समिति द्वारा प्रस्तुत उक्त अनुशंषा दिनांक 21.02.2017 प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचार-विमर्श उपरान्त आवश्यक निर्णय/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।
(प्रभारी अधिकारी (संस्थापन-1) से प्राप्त यू.ओ. नोट क्र. 24526 दिनांक 09.03.2017 एवं कार्यालय टिप्पणी दिनांक 18.03.2017 N/1 से 11)

निर्णय : विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्स 357 A(i) के तहत शैक्षणिक व अशैक्षणिक कार्मिकों की परिवीक्षा अवधि 24 माह के स्थान पर 12 माह किये जाने के संबंध में गठित कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 21.02.2017 पर विचार-विमर्श किया गया। श्री एल.एन. सोनी, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त विभाग, राज. सरकार द्वारा प्रबंध मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया कि राज्य सरकार में विशिष्ट प्रकरणों को छोडते हुए अन्य कार्मिकों हेतु 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि का प्रावधान है।

चर्चा के दौरान प्रबंध मण्डल के सदस्यों को यह अवगत कराया गया कि वर्तमान में राज.स्वा.वि.वि. द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय के स्टेच्यूज व ऑर्डिनेन्स धारित किये गये है एवं उनके अनुसार संबंधित कार्यवाही की जा रही है। ऑर्डिनेन्स 357 A(i) में आदिनांक तक कोई संशोधन नहीं हुआ है एवं राज.स्वा. वि.वि. द्वारा उक्त ऑर्डिनेन्स के तहत पूर्व में प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन के उपरान्त कार्यवाही की जाकर योग्य अशैक्षणिक कार्मिकों की परिवीक्षा अवधि एक वर्ष की जा चुकी है। विश्वविद्यालय के उक्त ऑर्डिनेन्स में भी 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के प्रावधान है, किन्तु विशेष प्रकरणों में जहां कार्मिक को नियुक्ति से पूर्व निर्दिष्ट 3 वर्ष का लगातार अनुभव है, केवल उन्हीं कार्मिको की परिवीक्षा 1 वर्ष की जा सकती है। विचार -विमर्श उपरान्त इस संबंध में शैक्षणिक कार्मिकों के प्रकरणों में कमेटी द्वारा प्रस्तुत अनुशंषा दि. 21.02. 2017 का अनुमोदन करते हुए अशैक्षणिक कार्मिकों के संबंध में भी ऑर्डिनेन्स 357 A(i) के तहत निर्दिष्ट योग्य कार्मिकों की परिवीक्षा अवधि 24 माह के स्थान पर 12 माह किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

बिन्दु सं. 15 राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर में तत्काल अस्थाई आधार पर कार्यरत आचार्यों की सेवा अवधि के संबंध में :-

प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा अपने पत्रांक 22001 दिनांक 07.03.2017 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि महाविद्यालय में तत्काल अस्थाई आधार पर कार्यरत निम्नलिखित विभागों के आचार्यो की सेवा अवधि समाप्त हो चुकी है अथवा आगामी एक माह में समाप्त होने वाली है। महाविद्यालय द्वारा इन आचार्यो की सेवा अवधि उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि तक बढाई जानी प्रस्तावित की है :-

S. No.	Name	Designation	Date of Joining	Extension upto
1.	Dr. Kalpana Baijal	Professor – Pharmacology	24.11.2015	22.05.2017
2.	**Dr. Sunila Chadda**	**Professor – Pathology**	**03.11.2016**	**02.02.2017**
3.	Dr. Rakesh Pratap Khuteta	Professor- OBG	07.05.2014	05.05.2017
4.	Dr. Heera Lal Bairwa	Professor- Forensic Medicine	11.12.2014	08.06.2017
5.	Dr. Veena Bhardwaj	Professor- Opthalmology	21.10.2016	20.04.2017

अतः राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर में तत्काल अस्थाई आधार पर कार्यरत आचार्यों की सेवा अवधि में उपरोक्तानुसार बढोतरी किये जाने के संबंध में प्रकरण विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।
(प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि.आ.म. का पत्रांक 22001 दि. 07.03.2017)

निर्णय : प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा की गई अनुशंषा के आधार पर एवं महाविद्यालय में एम.सी.आई. नियमों के अनुरूप चिकित्सक शिक्षकों की उपलब्धता के दृष्टिगत महाविद्यालय में तत्काल अस्थाई आधार पर कार्यरत उपरोक्त विभागों के आचार्यों की सेवा अवधि में प्रस्ताव के अनुसार विस्तार किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त प्रस्ताव में चाहे गये सेवा विस्तार के अतिरिक्त अग्रिम क्रम में आगामी छः माह अथवा नियमित नियुक्ति, जो भी पहले हो, तक भी उपरोक्त तत्काल अस्थाई आधार पर कार्यरत आचार्यों की सेवा अवधि बढाये जाने की स्वीकृति प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदान की गई।

बिन्दु सं. 16 डॉ. शाहिना परवेज, सह–आचार्य (पातेय वेतन पर) एवं डॉ. शर्मिष्ठा विजय, सह–आचार्य (पातेय वेतन पर), राज.स्वा.वि.वि. दंत विज्ञान महाविद्यालय को डीएसीपी के तहत सह–आचार्य के पद पर पदोन्नति दिये जाने के संबंध में।

डॉ. शाहिना परवेज, सह–आचार्य एवं डॉ. शर्मिष्ठा विजय, सह–आचार्य से प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 14.03.2017 की प्रतियां संलग्न है। स्क्रिनिंग एवं समायोजन समिति की अनुशंषा के आधार पर विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश क्रमांक 11517 दिनांक 10.10.2012 द्वारा डॉ. शर्मिष्ठा विजय, सहायक आचार्य (पेरीऑडोन्टिक्स) एवं डॉ. शाहिना परवेज, सहायक आचार्य (कन्जर्वेटिव डेन्टिस्ट्री) का विश्वविद्यालय में समायोजन किया गया। विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश क्रमांक 11796 दिनांक 17.10.2012 द्वारा डॉ. शर्मिष्ठा विजय, सहायक आचार्य (पेरीऑडोन्टिक्स) एवं डॉ. शाहिना परवेज, सहायक आचार्य (कन्जर्वेटिव डेन्टिस्ट्री) को पातेय वेतन पर सह–आचार्य के पद पर उनके कार्यग्रहण दिनांक से तदर्थ पदोन्नति प्रदान की गई। उक्त दोनों चिकित्सक शिक्षकों ने संदर्भित अभ्यावेदन के माध्यम से डीएसीपी के तहत सह–आचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया है।
अतः डॉ. शाहिना परवेज एवं डॉ. शर्मिष्ठा विजय को डीएसीपी के तहत सह–आचार्य के पद पर पदोन्नति दिये जाने के संबंध में प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : डॉ. शाहिना परवेज, सह–आचार्य (पातेय वेतन पर) एवं डॉ. शर्मिष्ठा विजय, सह–आचार्य (पातेय वेतन पर), राज.स्वा.वि.वि. दंत विज्ञान महाविद्यालय को डीएसीपी के तहत सह–आचार्य के पद पर पदोन्नति दिये जाने के संबंध में चर्चा की गई। चर्चा के दौरान डॉ. प्रदीप जैन, माननीय सदस्य द्वारा अवगत कराया कि राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेश दिनांक 16.08.2011 के अनुसार स्क्रिनिंग एवं समायोजन समिति की अनुशंषा के आधार पर विश्वविद्यालय सेवा में समायोजित होने वाले अन्य योग्य सहायक आचार्य जैसे जैसे डॉ. संकल्प मित्तल एवं डॉ. विनय कुमार को भी नियमानुसार डीएसीपी के तहत सह–आचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान की जानी भी वांछित है।

विचार–विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्रस्तावित दन्त चिकित्सकों के अलावा भी यदि कोई योग्य है तो उसे नियमानुसार डीएसीपी के तहत अग्रिम पदोन्नति का लाभ दिये जाने की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के तहत सम्पादित की जावे।

बिन्दु सं. 17 डॉ. चन्द्रमोली व्यास, सहायक आचार्य, सर्जरी विभाग के वेतन भुगतान के संबंध में :–

डॉ. चन्द्रमोली व्यास, सहायक आचार्य के वेतन भुगतान के संबंध में तथ्यात्मक विवरण निम्नानुसार है :–

1. अति. निदेशक (प्रशा.), चिकित्सा शिक्षा एवं संयोजक, झालावाड़ हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी, झालावाड के आदेश क्रमांक 590–96 दिनांक 28.09.2015 द्वारा डॉ. चन्द्रमोली व्यास, सहायक आचार्य, सर्जरी विभाग की राज.स्वा.वि.वि. के कॉलेज कार्य हेतु प्रतिनियुक्ति दिनांक 12.09.2015 को समाप्त होने के कारण 01 वर्ष के लिए बढ़ायी गई थी।

2. डीन, झालावाड़ हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज, झालावाड़ के कार्यालय आदेश क्रमांक 2229–34 दिनांक 28.04.2016 द्वारा डॉ. व्यास को झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से कार्यमुक्त कर अपनी उपस्थिति राज.स्वा.वि.वि. में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

3. उक्त आदेश के क्रम में डॉ. व्यास ने अपनी उपस्थिति विश्वविद्यालय में दिनांक 29.04.2016 को प्रस्तुत की।

4. विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश क्रमांक 2893 दिनांक 13.05.2016 द्वारा डॉ. व्यास को राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर के संलग्न जयपुरिया चिकित्सालय में कार्यव्यवस्था के तहत दिनांक 10.09.2016 तक पदस्थापित किया गया। साथ ही विश्वविद्यालय के उक्त आदेश में यह भी उल्लेखित किया गया कि डॉ. व्यास की इस समयावधि के लिए वेतन भुगतान की कार्यवाही डीन, झालवाड़ हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज के माध्यम से ही सम्पादित की जावेगी।

5. अति. निदेशक (प्रशा.), चिकित्सा शिक्षा एवं संयोजक, झालावाड़ हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी, झालावाड के आदेश क्रमांक 443–446 दिनांक 06.06.2016 द्वारा निर्देशित किया गया कि झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी से राज.स्वा.वि.वि. में प्रतिनियुक्ति पर लगने वाले चिकित्सकों के वेतन व भत्तों एवं अन्य ड्यूज का भुगतान राज.स्वा.वि.वि. के द्वारा किया जायेगा।

6. डीन, झालावाड़ हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज, झालावाड़ ने प्राचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर को पत्रांक 4531–35 दिनांक 25.11.2016 प्रेषित कर अवगत कराया कि डॉ. व्यास की प्रतिनियुक्ति राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के संलग्न जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर में होने के फलस्वरूप इनका माह 31 मई 2016 तक का वेतन भुगतान इस कार्यालय द्वारा किया जा चुका है। गत भुगतान प्रमाण पत्र (LPC) को अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है।

7. डॉ. व्यास ने दिनांक 13.12.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जून. 2016 से अब तक के वेतन का भुगतान किये जाने का अनुरोध किया है।

8. इस क्रम में उल्लेख है कि डॉ. व्यास की प्रतिनियुक्ति समयावधि दिनांक 10.09.2015 को समाप्त हो चुकी है।

9. डीन, झालावाड़ हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज, झालावाड़ ने अपने पत्रांक 61 दिनांक 07.01.2017 द्वारा डॉ. व्यास को एम.सी.आई. निरीक्षण के मध्यनजर सीनीय चिकित्सा महाविद्यालय में उपस्थिति देने हेतु कार्यमुक्त किये जाने का अनुरोध किया है। पत्रानुसार डॉ. व्यास ने दिनांक 24.11.2016 से अद्यतन स्थानीय चिकित्सा महाविद्यालय में उपस्थिति दी है। आपके कार्यालय द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि में यदि इन्हें वेतन का भुगतान किया गया हो तो उसका विवरण भिजवाये जाने हेतु भी अनुरोध किया गया है।

10. डीन एवं नियंत्रक, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, झालावाड़ से प्राप्त पत्रांक 61 दिनांक 07.01.2017 के क्रम में एवं डॉ. व्यास के स्वयं के निवेदन पर विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश क्रमांक 22209 दिनांक 30.01.2017 द्वारा डॉ. व्यास को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करते हुए अपनी उपस्थिति डीन, झालावाड़ हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज, झालावाड़ के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

अतः डॉ. व्यास का वेतन भुगतान किसके द्वारा किया जायेगा तथा किस समयावधि तक का किया जायेगा, के संबंध में निर्णय लेने हेतु प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : डॉ. चन्द्रमोली व्यास, सहायक आचार्य, सर्जरी विभाग के वेतन भुगतान के प्रकरण पर विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उक्त चिकित्सक शिक्षक द्वारा विश्वविद्यालय में दी गई सेवा की अवधि के आधार पर बकाया वेतन भुगतान की कार्यवाही की जावे।

बिन्दु सं. 18 संस्था विद्या प्राचारिणी सभा द्वारा संचालित महाविद्यालयों को राज.स्वा.वि.वि. से असम्बद्धता हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में :–

संस्था विद्या प्राचारिणी सभा द्वारा संचालित निम्नलिखित महाविद्यालय फार्मेसी संकाय में राज.स्वा.वि.वि. से सम्बद्धता प्राप्त थे :–

1. भूपाल नोबल्स कॉलेज ऑफ फार्मेसी, उदयपुर
2. भूपाल नोबल्स इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साईसेंज, उदयपुर

संचालक संस्था द्वारा उपरोक्त दोनो महाविद्यालयों को सत्र 2016–17 से राज.स्वा.वि.वि. के स्थान पर भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर से सम्बद्ध किये जाने का निर्णय लिया गया है एवं राज्य सरकार द्वारा भी इस आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। जिसके फलस्वरूप उक्त दोनों फार्मेसी महाविद्यालयों को इस विश्वविद्यालय द्वारा समस्त फार्मेसी पाठ्यक्रमों से सत्र 2016–17 से असम्बद्ध किया जाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। राज.स्वा.वि.वि. द्वारा उक्त महाविद्यालयों की असम्बद्धता हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रबन्ध मण्डल के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।
(प्रभारी अधिकारी (शैक्षणिक–1) से प्राप्त यू.ओ. नोट क्र. 23874 दि. 25.02.2017 एवं 23875 दि. 25.02.2017)

निर्णय : संस्था विद्या प्राचारिणी सभा द्वारा संचालित उपरोक्त फार्मेसी महाविद्यालयों को सत्र 2016–17 से राज.स्वा. वि.वि. से असम्बद्ध किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया उक्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत ऐसे छात्र जिनके प्रवेश राज.स्वा.वि.वि. की सम्बद्धता के समय हुए है उनके संबंध में परीक्षा इत्यादि की कार्यवाही राज.स्वा.वि.वि. द्वारा ही की जावेगी। ऐसे छात्रों को संबंधित पाठ्यक्रम की उपाधि भी राज.स्वा.वि.वि. द्वारा ही प्रदान की जावेगी।

बिन्दु सं. 19 **शारदा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अलवर, एस.जी.नर्सिंग कॉलेज, भीनमाल, जालौर एवं श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कोठपुतली, जयपुर की सत्र 2014–15 एवं 2015–16 की सम्बद्धता के संबंध में :–**

संस्था शारदा कॉलेज ऑफ नर्सिंग–अलवर, एस.जी. नर्सिंग कॉलेज, भीनमाल–जालौर एवं श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कोठपुतली–जयपुर की सत्र 2014–15 एवं 2015–16 की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर स्क्रूटनी कमेटी द्वारा निकाली गई कमियों की पूर्ति महाविद्यालयों द्वारा नहीं किए जाने के कारण निरीक्षण मण्डल की बैठक क्रमश' 13.10.2016 एवं 09.11.2016 में इन संस्थाओं को सत्र 2014–15 एवं 2015–16 की संबंद्धता प्रदान नहीं किए जाने हेतु अभिशंषा की गई थी। जिसका अनुमोदन प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 17.11.2016 में किया गया।

उपरोक्त तीनों महाविद्यालयों द्वारा स्क्रूटनी कमेटी द्वारा निकाली गई कमियों की पूर्ति की जाकर विश्वविद्यालय से यह निवेदन किया है कि इनकी सम्बद्धता के प्रकरण पर विश्वविद्यालय द्वारा पुनः विचार किया जावे। उपरोक्त तीनों महाविद्यालयों की सत्र 2014–15 एवं 2015–16 की संबंद्धता प्रदान नहीं करने का निर्णय प्रबन्ध मण्डल द्वारा पूर्व में अनुमोदित है। अतः उक्त दोनो महाविद्यालयों की सम्बद्धता का प्रकरण पुनर्विचार हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।
(प्रभारी अधिकारी (संस्थापन–2) से प्राप्त यू.ओ. नोट क्र. 19618 दि. 13.01.2017)

निर्णय : शारदा कॉलेज ऑफ नर्सिंग–अलवर, एस.जी.नर्सिंग कॉलेज–भीनमाल, जालौर एवं श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ नर्सिंग–कोठपुतली, जयपुर के सम्बद्धता प्रकरण से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया। विचार–विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से स्क्रूटनी कमेटी एवं निरीक्षण मण्डल द्वारा पूर्व में की गई अनुशंषा को अंतिम मानते हुए उपरोक्त संस्थाओं को सत्र 2014–15 एवं 2015–16 की सम्बद्धता प्रदान नहीं किये जाने के प्रबन्ध मण्डल के पूर्व निर्णय को यथावत रखा गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त संस्थाऐं यदि चाहे तो आगामी सत्र से नवीन सम्ब्द्धता का आवेदन कर आवश्यक सम्बद्धता शुल्क के साथ पुनः विश्वविद्यालय में सम्बद्धता हेतु आवेदन कर सकती है।

सत्र 2014–15 एवं 2015–16 में उपरोक्त संस्थाओं में यदि विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया की कार्यवाही की गई है तो इन सत्रों में प्रवेशित छात्रों के स्थानान्तरण अन्य सम्बद्धता महाविद्यालयों में किये जाने का भी निर्णय प्रबन्ध मण्डल द्वारा लिया गया।

बिन्दु सं. 20 **राज.स्वा.वि.वि. द्वारा सम्बद्धता शुल्क, परीक्षा शुल्क इत्यादि में प्रतिवर्ष की जा रही 15 प्रतिशत बढोतरी एवं प्रस्तावित डिजिटल लाईब्रेरी हेतु महाविद्यालयों से लिए जाने वाले शुल्क के संबंध में प्राईवेट फिजियोथैरेपी, नर्सिंग व पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी ऑफ जयपुर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार विमर्श एवं आवश्यक निर्णय :–**

विश्वविद्यालय की विद्या परिषद एवं प्रबन्ध मण्डल की संयुक्त बैठक दि. 08.08.2014 के अति.एजेण्डा सं. 1 में विश्वविद्यालय के सम्बद्धता शुल्क, परीक्षा शुल्क इत्यादि में प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की समान आधार की दर से पांच शैक्षणिक सत्रों (2015–16 से 2019–20) तक बढाये जाने का निर्णय लिया गया था।

राज.स्वा.वि.वि. में स्थापित की जाने वाली डिजिटल लाईब्रेरी के संबंध में विद्या परिषद की बैठक दिनांक 17.11.2016 के टेबल एजेण्डल संख्या 11 में वि.वि. से सम्बद्ध महाविद्यालयों से प्राप्त किये जाने वाले शुल्क पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान यह प्रासंगिक हुआ कि वर्तमान में लागू संबद्धता शुल्क में पूर्व में प्रबंध मण्डल में लिये गये निर्णयानुसार प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की बढोतरी की जा रही है। चर्चा उपरांत यह निर्णय लिया गया कि उक्त सामान्य 15 प्रतिशत बढोतरी के पश्चात् निम्नानुसार संबद्धता शुल्क के अतिरिक्त बढोतरी किये जाने का निर्णय लिया गया था:–

1-	Medical College	Rs. 10.00 Lakhs
2-	Nursing College	Rs. 0.60 Lakhs
3-	Pharmacy College	Rs. 1.00 Lakhs
4-	Physiotherapy College	Rs. 0.50 Lakhs
5-	Dental College	Rs. 2.00 Lakhs
6-	Paramedical College	Rs. 0.50 Lakhs

उपरोक्त अतिरिक्त बढोतरी से प्राप्त राशि का उपयोग डिजिटल लाईब्रेरी के कार्य हेतु किये जाने का निर्णय लिया गया था। इस अतिरिक्त बढोतरी से प्राप्त राशि यदि डिजिटल लाईब्रेरी के कार्य के लिए आवश्यक राशि से कम हो तो सामान्य 15 प्रतिशत बढोतरी राशि मद (संबद्धता शुल्क) मे से डिजिटल लाईब्रेरी हेतु उपभोग किये जाने का निर्णय लिया गया था। उल्लेखनीय है कि सचिव, प्राईवेट नर्सिंग, फिजियोथैरेपी व पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी ऑफ जयपुर द्वारा राजभवन एवं विश्वविद्यालय में एक प्रतिवेदन क्र. 286 दि. 12.01.2017 प्रस्तुत किया जाकर विश्वविद्यालय सम्बद्धता, परीक्षा इत्यादि शुल्क में की जा रही प्रतिवर्ष की 15 प्रतिशत बढोतरी एवं डिजिटल लाईब्रेरी हेतु निर्धारित किये गये शुल्क का विरोध किया गया है। उक्त प्रतिवेदन प्रबन्ध मण्डल के समक्ष निम्न बिन्दुओं के दृष्टिगत विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्तुत है :–

1. प्रबन्ध मण्डल की बैठक दि. 08.08.2016 के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता शुल्क, परीक्षा शुल्क इत्यादि में प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की जा रही है एवं यह क्रम सत्र 2019–20 तक जारी रखा जाना है।
2. वर्तमान समय तक डिजिटल लाईब्रेरी हेतु निर्धारित शुल्क को सम्बद्धता शुल्क में समाहित किये जाने हेतु नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है।
3. डिजिटल लाईब्रेरी के प्रोजेक्ट के संबंध में अनुमानित आय एवं व्यय निम्नानुसार है :–

A.	डिजिटल लाईब्रेरी के प्रोजेक्ट की कुल लागत *(शॉर्टलिस्टेड फर्मो से प्राप्त प्रोफॉर्मा इनवाईसेज के आधार पर)*	रू. 433.44 लाख
B.	महाविद्यालयों से प्राप्त होने वाला डिजिटल लाईब्रेरी शुल्क	रू. 237.50 लाख
C.	सम्बद्धता शुल्क में प्रतिवर्ष 15 बढोतरी से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय	रू. 77.00 लाख
D.	डिजिटल लाईब्रेरी शुल्क व सम्बद्धता शुल्क में 15 बढोतरी से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय को सम्मिलित करने के पश्चात भी डिजिटल लाईब्रेरी प्राजेक्ट की कुल लागत हेतु वांछित राशि [(A- (B+C)]	**रू. 118.94 लाख**

इस प्रकार डिजिटल लाईब्रेरी हेतु विश्वविद्यालय निधि से वांछित राशि रू. 118.94 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया जाना होगा। अतः उपरोक्तानुसार राज.स्वा.वि.वि. द्वारा सम्बद्धता शुल्क, परीक्षा शुल्क इत्यादि में प्रतिवर्ष की जा रही 15 प्रतिशत बढोतरी एवं प्रस्तावित डिजिटल लाईब्रेरी हेतु महाविद्यालयों से लिए जाने वाले शुल्क के संबंध में प्रकरण विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : राज.स्वा.वि.वि. द्वारा सम्बद्धता शुल्क, परीक्षा शुल्क इत्यादि में प्रतिवर्ष की जा रही 15 प्रतिशत बढोतरी एवं प्रस्तावित डिजिटल लाईब्रेरी हेतु महाविद्यालयों से लिए जाने वाले शुल्क के संबंध में प्राईवेट फिजियोथैरेपी, नर्सिंग व पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी ऑफ जयपुर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर चर्चा की गई। प्रबंध मण्डल के सदस्यों को यह अवगत कराया कि विश्वविद्यालय स्तर पर डिजिटल लाईब्रेरी की स्थापना से विश्वविद्यालय पर कोई अतिरिक्त वित्तिय भार नही पडेगा और समस्त संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के छात्रों एवं शिक्षकों को इसका लाभ प्राप्त हो सकेगा। विश्वविद्यालय द्वारा डिजिटल लाइब्रेरी हेतु निर्धारित शुल्क का कुछ संकायों के महाविद्यालयों द्वारा फैडरेशन के माध्यम से विरोध किया गया है। विस्तृत चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों से सहमति प्राप्त होने के उपरान्त ही उक्त प्रस्ताव को पुनः प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

राज.स्वा.वि.वि. द्वारा सम्बद्धता शुल्क, परीक्षा शुल्क इत्यादि में प्रतिवर्ष की जा रही 15 प्रतिशत बढोतरी के संबंध में प्रबन्ध मण्डल द्वारा पूर्व में बैठक दिनांक दि. 08.08.2014 के अति.एजेण्डा सं. 1 के निर्णय के अनुसार यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु सं. 21 विश्वविद्यालय में संयुक्त–कुलसचिव (Joint-Registrar) का पद सृज्जित करने के संबंध में :–

विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा एक प्रतिवेदन दिनांक 11.04.2017 प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में विभिन्न अशैक्षणिक पदों की स्वीकृति विश्वविद्यालय के स्थापना के समय राज्य सरकार के आदेश वर्ष 2004 द्वारा की गयी थी। जिसके बाद राज्य सरकार के आदेश दिनांक 26.07.2016 द्वारा केवल दो उपकुलसचिव के पद सृजित किये गये है इस प्रकार विश्वविद्यालय में वर्तमान में उपकुलसचिव (पे–बेण्ड–3, रनिंग पे–बेण्ड 15600–39100, ग्रेड पे–6600, ग्रेड) के कुल तीन पद स्वीकृत/उपलब्ध है।

वर्तमान में विश्वविद्यालय में निम्नलिखित अधिकारियों के पद स्वीकृत हैः'

1. उपकुलसचिव (Dy. Registrar) –3 पद
2. सहायक कुलसचिव (Astt. Registrar) –4 पद
3. अनुभागाधिकारी (Section Officer) –5 पद

वर्तमान में विश्वविद्यालय में संयुक्त–कुलसचिव का पद सृज्जित नहीं होने के कारण उपकुलसचिव के पद पर कार्यरत कार्मिकों को पदोन्नति का अवसर नहीं मिल पा रहा है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना वर्ष 2005 में की गयी थी जिसके बाद आज दिनांक तक पूर्व में सृज्जित अशैक्षणिक पदों में अभिवृद्धि नहीं की गयी है, जबकि विश्वविद्यालय के स्थापना वर्ष से आज दिनांक तक सम्बद्ध महाविद्यालयों की संख्या, छात्रों के नामांकन, अशैक्षणिक पदों की स्वीकृत संख्या का तुलनात्मक विवरण एवं नव पद सृजन का औचित्य निम्नानुसार प्रेषित हैः–

वर्ष 2006 में सम्बद्ध महाविद्यालय	वर्ष 2016 में सम्बद्ध महाविद्यालय	वर्ष 2006 में नामांकन	वर्ष 2016 में नामांकन	वर्ष 2006 में स्वीकृत पद	वर्ष 2016 में स्वीकृत पद
107	341	3500	15295	83	85
सम्बद्ध महाविद्यालयों में 290.00 प्रतिशत की बढोतरी		नामांकन में 543.00 प्रतिशत की बढोतरी		पदों में अभिवृद्वि 02.00 प्रतिशत	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सम्बद्व महाविद्यालयों की संख्या, नामांकित छात्रों की संख्या, कुल अध्ययनरत छात्रों की संख्या, एवं विश्वविद्यालय के दो संघटक महाविद्यालय यथा राज.स्वा.वि. वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं राज.स्वा.वि. वि. दन्त महाविद्यालय की स्थापना हो चुकी है जिससे अन्य दिन–प्रति दिन के कार्यो में कई गुणा अभिवृद्धि होने के पश्चात् भी अशैक्षणिक पदों की संख्या में कोई अभिवृद्धि नही हुई है।

विश्वविद्यालय में कुल विभिन्न 6 संकाय के अधीन विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित है तथा वर्तमान में परीक्षा अनुभाग, गोपनीय अनुभाग, नामांकन अनुभाग, शैक्षणिक अनुभाग, प्रवेश एवं भर्ती अनुभाग, लेखा अनुभाग, केन्द्रिय भण्डार, विधि अनुभाग, शोध अनुभाग, सूचना का अधिकारी, मानवाधिकार आयोग, कोर्ट–कैसेज, सुगम समाधान, जनसुनवाई इत्यादि अनुभाग है जिससे संबंधित कार्यो में भी निरन्तर बढोतरी हुई है/होती रहती है। साथ ही विश्वविद्यालय के सेवानियमों मे भी उप–कुलसचिव एवं कुलसचिव के पदों के मध्य संयुक्त–कुलसचिव का पद का प्रावधान भी है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय में संयुक्त–कुलसचिव का पद सृजन से वर्तमान में कुलसचिव के पद पर अत्यधिक अतिरिक्त कार्यभार जैसे सूचना का अधिकारी, मानवाधिकार आयोग, कोर्ट–कैसेज, सुगम समाधान, जनसुनवाई इत्यादि से संबंधित कार्यों का विभाजन हो पायेगा, जिससें जल्द प्रशासनिक निर्णय एवं कार्य में तत्परता एवं सुगमता भी आने की संभावना होगी। अतः उपरोक्त कार्यों के दृष्टिगत राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर में एक संयुक्त–कुलसचिव (पे–बेण्ड–3, रनिंग पे–बेण्ड 15600–39100, ग्रेड पे–7600, ग्रेड) का पद सृज्जित करने के संबंध में प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : उक्त प्रकरण में विचार–विमर्श उपरान्त विश्वविद्यालय में संयुक्त–कुलसचिव (पे–बेण्ड–3, रनिंग पे–बेण्ड 15600–39100, ग्रेड पे–7600, ग्रेड) का एक पद सृजित करने का निर्णय लेते हुए उक्त प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु सं. 22 विश्वविद्यालय के संघटक मेडिकल एवं दन्त महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद पर ज्वाईनिंग/नियुक्ति एवं दंत/मेडिकल चिकित्सक शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में :–

1. चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राज. सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16.08.2011 द्वारा राजकीय दंत महाविद्यालय, जयपुर को राज.स्वा.वि.वि., जयपुर का संघटक महाविद्यालय घोषित किया गया।
2. राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना के क्रम में एवं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 15.09.2011 के निर्णय की अनुपालना में विश्वविद्यालय के आदेश क्र. 8816 दि. 19.09.2011 द्वारा विश्वविद्यालय सेवा में समायोजन एवं पदोन्नति के संबंध में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग हेतु 'स्क्रीनिंग कमेटी' का गठन किया गया। उक्त कमेटी की अनुशंषा के आधार समायोजन हेतु आवश्यक कार्यवाही की गई। डॉ. प्रदीप जैन एवं अन्य शिक्षकों द्वारा विश्वविद्यालय सेवा में समायोजन हेतु आवेदन नहीं किया।
3. विशिष्ट सहायक, कार्यालय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आयुष, कराबी, संसदीय मामलात, विधि एवं विधिक कार्य, निर्वाचन एवं वक्फ विभाग, राज. सरकार के आदेश क्रमांक मंत्री/चि.स्वा./आयु/2016/1068 दिनांक 25.10.2016 द्वारा डॉ. प्रदीप जैन, प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. दंत विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर एवं डॉ. संदीप टण्डन, अधीक्षक, डेन्टल हॉस्पिटल, जयपुर को पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा (APO) हेतु अपनी उपस्थिति विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर के कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्यमुक्त करने बाबत् निर्देशित किया गया था।
4. राज्य सरकार के उक्त आदेश की अनुपालना में विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश क्रमांक 14009 दिनांक 25.10.2016 द्वारा डॉ. प्रदीप जैन, प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. दंत विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर एवं डॉ. संदीप टण्डन, अधीक्षक, डेन्टल हॉस्पिटल, जयपुर को दिनांक 25.10.2016 मध्याह्न पश्चात् दंत विज्ञान महाविद्यालय से कार्यमुक्त कर अपनी उपस्थिति विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर को देने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही डॉ. डी.के. गुप्ता, प्रोफेसर, ओरल सर्जरी, राज.स्वा.वि.वि. दंत विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर को प्रधानाचार्य के पद पर एवं डॉ. अंजली कपूर, प्रोफेसर, पेरियोडेन्सियां को अधीक्षक के पद पर कार्यव्यवस्था हेतु तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक लगाया गया।
5. विश्वविद्यालय द्वारा जारी उक्त आदेश को संचलन के माध्यम से आयोजित प्रबन्ध मण्डल की 112वीं बैठक दिनांक 26.10.2016 में प्रस्तुत कर कार्योत्तर स्वीकृति ली गई।
6. शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राज. सरकार से प्राप्त आदेशांक प. 1(42)एमई/ग्रुप–1/86 पार्ट जयपुर दिनांक 02.01.2017 द्वारा डॉ. प्रदीप जैन, वरिष्ठ आचार्य दंत रोग को राज.स्वा.वि.वि. दंत विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर पुनः पदस्थापित किया गया है। राज्य सरकार का यह आदेश विश्वविद्यालय की स्वायत्तता एवं प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है।
7. राज्य सरकार के उक्त आदेश की पालना में डॉ. प्रदीप जैन ने दिनांक 03.01.2017 को मध्यहान पूर्व कुलसचिव, राज.स्वा.वि.वि. को ज्वॉइनिंग रिपोर्ट प्रस्तुत की। माननीय कुलपति महोदय के अवकाश पर होने की वजह से उक्त ज्वॉईनिंग को कुलपति समिति के समक्ष कुलसचिव द्वारा रखा गया। समिति द्वारा इस ज्वॉईनिंग रिपोर्ट को आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में अनुमोदनार्थ रखने का निर्णय लिया गया।
8. राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.16(3)एम.ई./ग्रुप–1/17 दिनांक 15.02.2017 के द्वारा विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्थान्तर्गत राज्य सरकार के जो अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है, को विश्वविद्यालय से कार्यमुक्त करने हेतु निर्देश प्राप्त हुए थे।

9. राज्य सरकार के उक्त परिपत्र के क्रम में विश्वविद्यालय के पत्रांक एफ–2 ( )/संस्थापन–।।/राज. स्वा.वि.वि./2017/23278 दिनांक 16.02.2017 द्वारा राज्य सरकार से विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों को कार्यमुक्त किया गया।
10. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 16.08.2011 के अनुसार जब तक राज. दंत महाविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त दंत चिकित्सक शिक्षकों का विश्वविद्यालय सेवाओं में समायोजन नही होता है तब तक उन्हें विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर माना जायेगा। अतः राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 15.02.2016 के क्रम में डॉ. प्रदीप जैन, आचार्य आर्थोडॉन्टिक्स एवं प्राचार्य, राज.स्वा.वि.वि. दंत विज्ञान महाविद्यालय व डॉ. राजेश शर्मा, वरिष्ठ आचार्य, एनेस्थिसिया, एवं प्राचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय (कार्यव्यवस्थान्तर्गत) सहित अन्य चिकित्सक शिक्षकों को जो कि प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थे, को विश्वविद्यालय से कार्यमुक्त कर अपनी उपस्थिति अपने मूल विभाग में देने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के फलस्वरूप विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश क्रमांक 23351 दिनांक 16.02.2017 द्वारा विश्वविद्यालय के संघटक दंत विज्ञान महाविद्यालय में वरिष्ठतम आचार्य डॉ. अरूण गुप्ता (चूंकि डॉ. डी.के. गुप्ता, वरिष्ठ आचार्य ओरल सर्जरी को भी उक्त आदेशों के तहत कार्यमुक्त किया गया था) व आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के अतिरिक्त प्राचार्य डॉ. सुधान्शु कक्कड़ को कार्यव्यवस्थान्तर्गत तत्काल प्रभाव से प्राचार्य के पद पर कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।
11. राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग के पत्रांक प.16(3)एम.ई./ग्रुप–1/17 दिनांक 21.02.2017 द्वारा विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 16.02.2017 को तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहृत/निरस्त करते हुए राजकीय दंत चिकित्सक शिक्षकों/मेडिकल चिकित्सक शिक्षकों/कार्मिकों को राज.स्वा.वि.वि. दंत विज्ञान महाविद्यालय/आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में दिनांक 16.02.2017 से पूर्व की स्थिति के अनुसार यथावत कार्यरत रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया। राज्य सरकार का यह आदेश विश्वविद्यालय की स्वायत्तता एवं प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है।

राज्य सरकार से प्राप्त उक्त पत्र को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा वि.वि. की आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक के समक्ष चर्चा हेतु रखे जाने का निर्णय लिया गया। अतः राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21.02.2017 को जारी पत्र के संबंध में विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : बैठक में उपस्थित शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के कार्यमुक्त करने से संबंधित आदेश की वैधता पर प्रबंध मण्डल में चर्चा नही की जा सकती है। शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के कार्यमुक्त करने से संबंधित आदेश को तुरन्त प्रभाव से निरस्त करते हुए पूर्व की स्थिति के अनुसार यथावत कार्यरत रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया था। अतः विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों में प्रधानाचार्यों की स्थिति भी पूर्वानुसार ही रहेगी। शासन सचिव महोदया ने कहा कि पुनः ज्वानिंग नहीं स्वतः ही ज्वानिंग मानी जायेगी। राज्य सरकार के आदेश अनुसार कार्यवाही करें। कार्य व्यवस्था का आदेश Null & void है। राज्य सरकार का आदेश स्पष्ट है Follow करें। कार्यव्यवस्था के आदेश को प्रबंध मण्डल द्वारा endorose नही किया जायेगा।

बैठक में उपस्थित श्री एल.एन. सोनी, विशिष्ठ सचिव, वित्त, ने बताया कि जब cause of Action ही समाप्त हो गया है तो कार्यव्यस्था का आदेश स्वतः ही समाप्त हो जाता है। डॉ. रमेश अग्रवाल द्वारा कहा गया कि निर्धारित प्रकिया अपनाकर ही प्राचार्य की नियुक्ति करें। श्री अग्रवाल द्वारा कहा गया कि दिनांक 11.04.17 को एम.सी.आई निरीक्षण के दौरान आर.यू.एच.एस. सी.एम.एस. के प्राचार्य के रूप में डॉ. राजेश शर्मा के हस्ताक्षर करवाया गये, इस पर माननीय कुलपति, राज.स्वा.वि.वि. द्वारा अवगत करवाया गया कि यह compliance Inspection था चूंकि मूल निरीक्षण में डॉ. राजेश शर्मा का नाम था इस कारण ही उनके हस्ताक्षर करवाये गये।

विश्वविद्यालय द्वारा प्राचार्यों के पदस्थापन हेतु पारित आदेश पर चर्चा के दौरान कुलपति महोदय द्वारा प्रबंध मण्डल को अवगत कराया गया कि इस संबंध में माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय का पत्र विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा पारित आदेश को कायम रखते हुए प्राचार्यों की स्थायी भर्ती की कार्यवाही प्रारम्भ की जावें, ऐसे निर्देश प्राप्त हुए है। इस पर शासन सचिव एवं माननीया विधायक ने कहा कि मंत्री महोदय के पत्र पर प्रबंध मण्डल में चर्चा करना उचित नही है।

डॉ. अरूण चौगूले, मा0 सदस्य द्वारा डॉ. कोठारी, मा0 सदस्य से पूछा गया कि राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रचार्यो की नियुक्ति कैसे की जाती है। डॉ. कोठारी ने बताया कि राजस्थान विश्वविद्यालय में शक्ति कुलपति महोदय में निहित है। अतः यह प्रकरण प्रबंध मण्डल के समक्ष नही आना चाहिए।

श्रीमती रोली सिंह एवं श्रीमती पुष्पा सत्यानी ने बताया कि यह निर्णय प्रशासनिक स्तर पर किया जाना चाहिए, प्रबंध मण्डल द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नही की जावेगी।

प्रबंध मण्डल के सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया कि इस प्रकरण में इस एजेण्डा एवं इस संबंध में मंत्री महोदय से प्राप्त पत्र पर भी प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लिया जाना चाहिए था। अतः इसमें उपरोक्तानुसार कार्यवाई करें।

TABLE - AGENDA

टेबल एजेण्डा बिन्दु सं. 1 — **विद्या–परिषद की बैठक दिनांक 12.04.2017 के कार्यवाही विवरण के अनुपालना प्रतिवेदन का अनुमोदन।**

विद्या–परिषद की बैठक दिनांक 12.04.2017 का कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : विद्या–परिषद की बैठक दिनांक 12.04.2017 में लिए गये विभिन्न निर्णयों का संक्षिप्त विवरण कुलसचिव, राज.स्वा.वि.वि. द्वारा प्रबंध मण्डल के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसका प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया। साथ ही उक्त बैठक में बिन्दु सं. 12 में लिए गये निर्णय के क्रम में विचार–विमर्श उपरान्त स्नातकोतर संकाय में (By Rotation) श्रेष्ठतम विद्यार्थी को Chancellor's Gold Medal दिये जाने के अतिरिक्त एक और Gold Medal प्रदान करने का भी प्रस्ताव माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदस्यो के समक्ष रखा गया। यह Gold Medal चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में श्रेष्ठतम कार्य करने वाले किसी एक विश्वविद्यालय छात्र/शिक्षक/बाह्य व्यक्ति को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाये जिसका सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

टेबल एजेण्डा बिन्दु सं. 2 — **परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 13.04.2017 के बैठक कार्यवाही विवरण का अनुमोदन :–**

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 13.04.2017 का बैठक कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।
(परीक्षा विभाग से प्राप्त यू.ओ. नोट क्र. 609 दि. 17.04.2017)

निर्णय : परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 13.04.2017 के बैठक कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

टेबल एजेण्डा बिन्दु सं. 3 — **सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा सत्र 2008–10 एवं 2010–11 में नियत अंतिम तिथि के पश्चात सम्बद्धता शुल्क व आवश्यक दस्तावेज जमा कराने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे महाविद्यालयों पर लगाई गई अतिरिक्त शास्ति राशि लौटाये जाने के संबंध में :–**

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण महाविद्यालयों के द्वारा सम्बद्धता शुल्क व आवश्यक दस्तावेज नियत अंतिम तिथि (Statute 37 के अनुसार 30 जून) के पश्चात विश्वविद्यालय में जमा कराये गये। ऐसे समस्त प्रकरणों में विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने हेतु संबंधित महाविद्यालयों पर अतिरिक्त शास्ति राशि (रू. 4. 50 लाख प्रति महाविद्यालय) आरोपित की जाकर सम्बद्धता की कार्यवाही की गई। ऐसे महाविद्यालयों द्वारा संबंधित वर्ष में विश्वविद्यालय द्वारा आरोपित अतिरिक्त शास्ति राशि जमा करवाई गई एवं इसके विरोध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में शास्ति राशि पुनः लौटाये जाने हेतु याचिकाए दायर की गई।

ऐसे प्रकरणों में एस.बी. एवं डी.बी. में माननीय न्यायालय द्वारा विश्वविद्यालय के विरूद्ध निर्णय पारित किये गये हैं। उक्त निर्णयों के क्रम में विश्वविद्यालय के पैनल अधिवक्ताओं एवं उप विधि परामर्शी, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर से विधिक राय प्राप्त की गई। पैनल अधिवक्ताओं एवं उप विधि परामर्शी द्वारा विधिक राय में यह अवगत कराया गया कि ऐसे प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP (Writ) दायर करने को कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप ऐसे प्रकरणों के अन्तर्गत आने वाले महाविद्यालयों को उनके द्वारा विश्वविद्यालय में जमा करवाई गई अतिरिक्त शास्ति राशि पुनः लौटाई जाने के संबंध में प्रकरण विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्तुत है।
(विधि शाखा से प्राप्त यू.ओ. नोट क्र. 19750 दि. 16.01.2017)

निर्णय : सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा सत्र 2008–10 से 2010–11 में नियत अंतिम तिथि के पश्चात सम्बद्धता शुल्क व आवश्यक दस्तावेज जमा कराने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे महाविद्यालयों पर लगाई गई अतिरिक्त शास्ति राशि लौटाये जाने के संबंध में चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में प्राप्त विधिक राय के दृष्टिगत केवल उन्ही महाविद्यालयों को जिनके लिए एस.बी. अथवा डी.बी. में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की अनुपालना में संबंधित महाविद्यालयों को उनके द्वारा विश्वविद्यालय में जमा करवाई गई अतिरिक्त शास्ति राशि पुनः लौटा दी जावे।

टेबल एजेण्डा बिन्दु सं. 4 — **राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में ई–गवर्नेंस मॉडल को लागू/स्थापित किये जाने के संबंध में:–**

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में ई–गवर्नेंस मॉडल को लागू/स्थापित किये जाने के संबंध में विश्वविद्यालय के आदेश कमांक 8823 दिनांक 29.07.2016 के द्वारा गठित कमेटी की बैठक दिनांक 24.03.2017 को आयोजित की गई, जिसमें उक्त कार्य हेतु विश्वविद्यालय व MNIT के मध्य किये जाने वाले MOU तथा उक्त कार्य विभिन्न फेज वाईज किये जाने तथा तालिका के अनुसार फेजवाईज कार्यो का भुगतान MNIT को भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया है, उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण तथा MNIT व विश्वविद्यालय के मध्य किये गये MOU को प्रबन्ध बोर्ड के माननीय सदस्यों के सम्मुख विचारार्थ, एवं अनुमोदनार्थ।

निर्णय : राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में ई–गवर्नेंस मॉडल को लागू/स्थापित किये जाने के संबंध में विश्वविद्यालय के आदेश कमांक 8823 दिनांक 29.07.2016 के द्वारा गठित कमेटी के बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 24.03.2017 एवं MNIT के साथ निष्पादित MOU का सर्वमम्मति से अनुमोदन करते हुए इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

टेबल एजेण्डा बिन्दु सं. 5 — **एम.सी.आई. के मापदण्डों के अनुरूप चिकित्सका शिक्षकों के सेवा विस्तार की अवधि या पुनर्नियोजित करने की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष किये जाने के संबंध में :–**

विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी। एम.सी.आई. द्वारा समय–समय पर महाविद्यालय का निरीक्षण किया जाता है। एम.सी.आई. के मापदण्डों के अनुसार नियमित चिकित्सक शिक्षक नही होने के कारण महाविद्यालय में प्रत्येक सप्ताह मंगलवार को वाक–इन–इंटरव्यू के माध्यम से तत्काल/अस्थाई आधार पर चिकित्सक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार आयोजित किये जाते है। आचार्य एवं सह–आचार्य पदों पर अधिकतम आयु 60 वर्ष होने के कारण योग्य चिकित्सक शिक्षक नही आ पाते है। राज्य सरकार में चिकित्सक शिक्षकों की अधिकतम आयु 65 वर्ष निर्धारित है जबकि एम.सी.आई. ने आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में चिकित्सक शिक्षकों की अधिकतम आयु 70 वर्ष निर्धारित की है। अतः महाविद्यालय में चिकित्सक शिक्षकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किये जाने वाले आचार्यो एवं सह–आचार्यो की अधिकतम आयु एम.सी.आई. मापदण्डों के अनुरूप 70 वर्ष करने की अनुमति हेतु प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : उक्त प्रकरण पर चर्चा से पूर्व माननीय कुलपति महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि एम.सी.आई. के मापदण्डों के अनुसार मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सक शिक्षकों की नियुक्ति की अधिकतम आयु 70 वर्ष की जा चुकी है अतः एम.सी.आई. के मादण्डों के अनुसार विश्वविद्यालय के संघटक मेडिकल कॉलेज में भी वाक–इन–इंटरव्यू के माध्यम से तत्काल/अस्थाई आधार पर नियुक्त होने वाले चिकित्सक शिक्षकों की अधिकतम आयु 70 वर्ष किया जाना उचित है। इस क्रम में श्रीमति पुष्पा सत्यानी (अति. निदेशक, चि.शि.), एवं अन्य सदस्यों द्वारा भी इस संबंध में अपनी सहमति व्यक्त की गई।

विचार–विमर्श उपरान्त एम.सी.आई. मापदण्डों के दृष्टिगत विश्वविद्यालय के संघटक मेडिकल कॉलेज में भी वाक–इन–इंटरव्यू के माध्यम से तत्काल/अस्थाई आधार पर एवं नियमित रूप से नियुक्त होने वाले चिकित्सक शिक्षकों की अधिकतम आयु 70 वर्ष निर्धारित किये जाने हेतुप्रबन्ध मण्डल द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार को भी एम.सी.आई. नियमों के अनुसार चिकित्सक शिक्षकों की नियुक्ति की अधिकतम आयु 70 वर्ष किये जाने बाबत् निवेदन किया जावे।

टेबल एजेण्डा बिन्दु सं. 6 — **UTB के आधार पर कार्यरत चिकित्सका शिक्षकों को देय फिक्स मानदेय में बढ़ोतरी किये जाने के संबंध में:–**

विश्वविद्यालय के संघटक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में UTB के आधार पर कार्यरत समस्त चिकित्सक शिक्षकों ने अभ्यावेदन दिनांक 13.04.2017 मय मान. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रति संलग्न कर समान कार्य के लिए समान वेतन दिये जाने हेतु अनुरोध किया है। इस क्रम में उल्लेख है कि आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में UTB के आधार पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों को राज्य सरकार स्तर पर निर्धारित निम्नानुसार फिक्स मानदेय दिया जाता है :–

क्र.सं.	पदनाम	फिक्स मानदेय (प्रतिमाह)
01	आचार्य (Professor)	75,750/–
02	सह–आचार्य (Assoc.Professor)	45,000/–

03	सहायक आचार्य (Assistant Professor)	40,040 / –
04	वरिष्ठ प्रदर्शक (Sr. Demonstrator)	35,360 / –

UTB के आधार पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों की नियुक्ति राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर आगामी तीन--तीन माह के लिए की जाती है तथा समय--समय पर कार्यावधि भी राज्य सरकार द्वारा ही बढ़ाई जाती है। आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में UTB के आधार पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों को कार्य करते हुए काफी समय हो चुका है किन्तु राज्य सरकार द्वारा इनके मानदेय में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी नही की गई है। अतः विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों में UTB के आधार पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों को देय फिक्स मानदेय संबंधी प्रकरण विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : विश्वविद्यालय के संघटक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में UTB के आधार पर कार्यरत समस्त चिकित्सक शिक्षकों से प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 13.04.2017 एवं समान कार्य के लिए समान वेतन दिये जाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर चर्चा की गई। विचार–विमर्श उपरान्त प्रबन्ध मण्डल द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों में UTB के आधार पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों को अन्य चिकित्सक शिक्षकों की भांति समान कार्य हेतु समान वेतन दिये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि प्रबन्ध मण्डल की सैद्धांतिक स्वीकृति के साथ उक्त प्रकरण को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग, राजस्थान सरकार को आवश्यक निर्णय हेतु प्रेषित किया जावे।

टेबल एजेण्डा बिन्दु सं. 7 **श्रीमति सुनीता चौधरी, नर्स ग्रेड–।।, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय को कार्यव्यवस्था के तहत 01 वर्ष की अवधि के लिए उम्मेद चिकित्सालय, जोधपुर में लगाये जाने के संबंध में।**

कार्यालय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं (ईएसआई), चिकित्सा शिक्षा, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग, राज. सरकार, जयपुर के पत्रांक मं./चि.स्वा./आयु./2017/2216 दिनांक 12.04.2017 द्वारा श्रीमति सुनीता चौधरी, नर्स ग्रेड–।।, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय को कार्यव्यवस्था के तहत 01 वर्ष की अवधि के लिए उम्मेद चिकित्सालय, जोधपुर में लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस क्रम में उल्लेख है कि वित्त विभाग (नियम अनुभाग), राज. सरकार के परिपत्र क्रमांक प.1(2)वित्त/नियम/ 2003 पार्ट–। जयपुर दिनांक 17.02.2007 एवं 16.01.2015 द्वारा राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों/बोर्ड इत्यादि से राज्य सरकार के विभागों में विपरित प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) हेतु सामान्य शर्ते एवं निर्देश प्रदान किये गये है। राज्य सरकार के उक्त परिपत्रों के अनुसार विपरित प्रतिनियुक्तियों हेतु आवश्यक होने पर प्रशासनिक विभागों द्वारा प्रस्तावित किये जाने पर वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति दी जाती है। कर्मचारी को वित्त विभाग की सहमति से एक वर्ष तक विपरित प्रतिनियुक्ति पर रखा जा सकेगा। वित्त विभाग की सहमति से रखे गये कर्मचारी की विपरित प्रतिनियुक्ति अवधि 04 वर्ष तक के लिये प्रशासनिक विभाग के स्तर पर और बढ़ाई जा सकेगी। विपरित प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि 05 वर्ष होगी।

अतः श्रीमति सुनीता चौधरी, नर्स ग्रेड–।। को कार्यव्यवस्था के तहत 01 वर्ष की अवधि के लिए उम्मेद चिकित्सालय, जोधपुर में लगाये जाने के संबंध में प्रकरण विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : उक्त प्रकरण के संबंध में प्रबंध मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय के पत्रांक मं./चि.स्वा./आयु./2017/2216 दिनांक 12.04.2017 द्वारा श्रीमति सुनीता चौधरी, नर्स ग्रेड–।।, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय को कार्यव्यवस्था के तहत 01 वर्ष की अवधि के लिए उम्मेद चिकित्सालय, जोधपुर में लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। सदस्यों को यह भी अवगत कराया गया कि ऐसे अन्य भी प्रकरण में विश्वविद्यालय के बाहर के कार्मिकों को विश्वविद्यालय में रिक्त अशैक्षणिक पद पर प्रतिनियुक्ति पर लगाये जाने के भी आदेश विश्वविद्यालय को प्राप्त हुए है। विश्वविद्यालय में राज्य सरकार के कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति एवं विश्वविद्यालय के कार्मिकों की राज्य सरकार के विभागों में विपरीत प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों की जाने वाली कार्यवाही को चर्चा हेतु प्रबंध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रबंध मण्डल में उपस्थित माननीय सदस्यों द्वारा यह इंगित किया कि इस प्रकार प्रतिनियुक्ति/विपरित प्रतिनियुक्ति से संबंधित प्रकरणों में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक स्तर पर ही आवश्यक निर्णय लिया

जाकर कार्यवाही की जावे। अतः विचार–विमर्श उपरान्त इस संबंध में विश्वविद्यालय मे माननीय कुलपति महोदय के स्तर पर विश्वविद्यालय के एक्ट अनुसार नियमानुसार आवश्यक निर्णय लिये जाने की सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

टेबल एजेण्डा बिन्दु सं. 8 — **राज.स्वा.वि.वि. दंत विज्ञान महाविद्यालय में UTB के आधार पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षक की नियुक्ति में अभिवृद्धि करने के संबंध में:–**

विश्वविद्यालय के पत्रांक 13213 दिनांक 13.10.2016 द्वारा राज.स्वा.वि.वि. दंत विज्ञान महाविद्यालय हेतु सृजित सहायक आचार्य (डेन्टल एनाटॉमी) के पद पर तत्काल/अस्थायी आधार पर आगामी 6 माह तक अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, के लिए चिकित्सक शिक्षक लगाये जाने की अनुमति प्रदान की गई थी। जिसके क्रम में प्रधानाचार्य द्वारा सलेक्शन कमेटी से प्राप्त अनुशंषा के आधार पर अपने कार्यालय आदेश क्रमांक 2645 दिनांक 22.10.2016 द्वारा डॉ. सिद्धार्थ मंगल को सहायक आचार्य (डेन्टल एनाटॉमी) को आगामी 06 माह तक अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, के लिए तत्काल/अस्थायी आधार पर नियुक्ति प्रदान की है। संदर्भित पत्रों के माध्यम से प्रधानाचार्य ने कार्यरत उक्त चिकित्सक की नियुक्ति अवधि को आगामी 06 माह तक बढ़ाये जाने हेतु अनुरोध किया है। अतः राज.स्वा.वि.वि. दंत विज्ञान महाविद्यालय में UTB के आधार पर कार्यरत उक्त चिकित्सक शिक्षक की नियुक्ति में अभिवृद्धि करने संबंधी प्रकरण प्रबन्ध मण्डल की बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : उक्त प्रकरण पर विचार–विमर्श उपरान्त डॉ. सिद्धार्थ मंगल, सहायक आचार्य (डेन्टल एनाटॉमी) की सेवा अवधि को आगामी 06 माह तक अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, के लिए तत्काल/अस्थायी आधार पर बढाये जाने की स्वीकृति प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदान की गई।

बैठक के अंत में डॉ. रमेश अग्रवाल एवं डॉ. आर.के. कोठारी, माननीय सदस्य द्वारा कहा गया कि विश्वविद्यालय के प्रस्तावित Statutes का ड्राफ्ट प्रबन्ध मण्डल के समस्त माननीय सदस्यों को अवलोकनार्थ प्रेषित किया गया है। डॉ. कोठारी द्वारा प्रबंध मण्डल के सदस्यों के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि चुंकि विश्वविद्यालय के Statutes का अनुमोदन एक महत्वपूर्ण एवं विस्तृत चर्चा का विषय है अतः इस हेतु प्रबन्ध मण्डल की एक विशिष्ट बैठक आयोजित की जावे जिसमें केवल विश्वविद्यालय के Statutes के अनुमोदन का ही प्रस्ताव सम्मिलित किया जावे। तत्पश्चात माननीय कुलपति महोदय द्वारा कहा गया कि विश्वविद्यालय के प्रस्तावित Statutes में आवश्यक संशोधन, परिवर्तन अथवा एडिशन हेतु माननीय प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों के अतिरिक्त समस्त संबंधित शिक्षकों, कर्मचारियों आदि से भी सुझाव आमंत्रित किये जाने उचित होंगे ताकि समस्त संबंधित के सुझावों पर सम्मिलित रूप से विचार किया जाकर एक बेहतर तरीके से विश्वविद्यालय के प्रस्तावित Statutes को अंतिम रूप दिया जा सके।

विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर विश्वविद्यालय के प्रस्तावित Statutes को अपलोड किया जाकर समस्त संबंधित से इस संबंध में आवश्यक संशोधन, परिवर्तन अथवा एडिशन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जावे। उक्त प्रस्तावों को संकलित किया जाकर इस संबंध में गठित कमेटी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जावे। तत्पश्चात कमेटी की अनुशंषा को प्रबन्ध मण्डल की विशिष्ट रूप से Statutes के अनुमोदन हेतु एक माह में बैठक का आयोजन किया जाकर आवश्यक निर्णय हेतु रखा जाने का निर्णय लिया गया।

प्रबंध मण्डल के कुछ सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की कि विभिन्न समितियों की रिपोटें जो प्रबंध मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाती है उन्हे बैठक से पूर्व माननीय सदस्यों को प्रेषित की जानी चाहिए, भविष्य में इसकी पालना करें।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

सदस्य सचिव
एवं कुलसचिव